न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 05 / 2016 वैवाहिक

श्रीमती लक्ष्मीबाई आयु 22 साल पुत्री प्रीतम सिंह पत्नी रायसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम ग्यारा थाना मंगरोल तहसील व जिला दतिया हाल ग्राम बडेरा थाना गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदिका

बनाम

रायसिंह आयु 24 साल पुत्र रामचरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम ग्यारा थाना मंगरोल तहसील व जिला दतिया म0प्र0

-----अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री जी०एस०निगम अधिवक्ता अनावेदिका द्वारा श्री बी०एस०यादव अधिवक्ता

//नि र्ण य// // आज दिनांक 27—1—17 को पारित किया गया //

- 01 इस आदेश द्वारा आवेदक / याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र / याचिका अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदक के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।
- 02. आवेदक / याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 5—5—11 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम बडेरा तहसील गोहद में विधिवत् सम्पन्न हुआ था तभी से आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है । आवेदिका के पिता ने शादी में अपने सामर्थ के अनुसार सोने चांदी के

जेवरात करीब एक लाख रूपये के तथा उपयोगी सामान पचास हजार रूपये के एवं पचास हजार रूपये नगद दहेज के रूप में दिया था जिससे अनावेदक के परिवार वाले संतुष्ट नहीं हुये और अतिरिक्त दहेज के लिये परेशान एवं मारपीट करने लगे । आवेदिका उक्त यातनायें सहन करती रही । दिनांक 9-7-12 को आवेदिका को अनावेदक ने मारपीट की तथा अपने पिता से सोने की चेन तथा एक भेंस की मांग की तो आवेदिका ने मना कर दिया जिस पर से अनावेदक ने उक्त दिनांक को ही आवेदिका को अपने पिता के घर ग्राम बडेरा में पहनने के कपड़ों के साथ जाकर छोड़ दिया तभी से वह अपने पिता के घर ग्राम बडेरा में रहकर गोहद में निवास कर रही है । आवेदिका के पिता ने वर्ष 2013-14 में दो तीन बार अनावेदक के घर जाकर पंचायत एकत्रित की किन्तु अनावेदक व उसके घरवालों ने रखने से मना कर दिया । आवेदिका को अनावेदक दाम्पत्य अधिकारों से बंचित किये हुये है । आवेदिका वर्तमान में अपने पिता के घर ग्राम बडेरा थाना गोहद में निवास कर रही है इस कारण इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार के अंतगर्त होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक के द्वारा वर्तमान याचिका का जवाब पेश कर विवाह होना स्वीकार करते हुये याचिका के शेष अभिवचनों को असत्य होने से अस्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त अनावेदक ने व्यक्त किया है कि आवेदिका के पिता ने शादी में कोई दान दहेज नहीं दिया था जबिक शादी बिना दान दहेज के सम्पन्न हुयी थी । आवेदिका अपनी मर्जी से अपने मायके में निवास कर रही है । अनावेदक के द्वारा कभी भी आवेदिका को परेशान नहीं किया है । अनावेदक के द्वारा कभी सोने की चेन और भेंस की मांग नहीं की है । आवेदिका अपनी मर्जी से अपने पिता के यहां निवास कर रही है आवेदिका कहती थी कि वह किसी दूसरे लंडके से प्यार करती है उसके घरवालों ने जबरदस्ती उसकी शादी उसके साथ कर दी है उसकी सूरत अच्छी नहीं है और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है वह उसे सुखी नहीं रख पायेगा। आवेदिका के मायके वाले आवेदिका की दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं । आवेदिका के पिता ने कभी भी समाज के सामने पंचायत नहीं बुलाई जबकि अनावेदक के द्वारा अपर जिला जज सेवढां के न्यायालय में दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना वाबत् दावा प्रस्तुत किया था जो कि प्र0पी0 06/13 पर संचालित हुआ और उसका फेसला अनावेदक के पक्ष में रहा । दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना का दावा जो कि पूर्व में अपर जिला जज स्योंढा के न्यायालय में निराकृत हो चुका है उसी सबंध में आवेदिका को वाद पेश करने का कोई अधिकार या औचित्य नहीं है । अनावेदक आवेदिका को पत्नी के रूप में रखने को तैयार है । ऐसी दशा में आवेदिका की ओर से पेश आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

04. प्रकरण में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं :-

कं0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या अनावेदक बिना किसी युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के बिना आवेदिका को अपने साथ रखने से इन्कार कर रहा है ?	
2	क्या अनावेदक के द्वारा आवेदिका का परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा गया है ?	
3—	क्या आवेदिका दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का अधिकारी है ?	
4—	सहायता एवं व्यय ?	
5—	क्या याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान याचिका पूर्व न्याय सिद्धांत (Res judicata) के सिद्धांत के आधार पर अप्रचलनीय है?	

//निष्कर्ष के आधार//

बिन्दु कमांक 5:-

05. याचिकाकर्ता श्रीमती लक्ष्मी बाई के द्वारा याचिका अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 पेश कर अनावेदक से दाम्पत्य संबंधों में पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है, जो कि आवेदिका के अनुसार वह दिनांक 09.07.2012 को अंतिम बार अनावेदक के साथ रही और तत्पश्चात् अपने माता—पिता के यहाँ वह रह रही है। वर्तमान याचिका के वाद का कारण उसके द्वारा उक्त दिनांक 09.07.2012 से और दिनांक 15.06.2015 को जब कि अनावेदक के द्वारा उसे ले जाने से अंतिम बार मना किया होना बताया है।

06. गैरयाचिकाकर्ता / अनावेदक के द्वारा अपने जबाव में याचिकाकर्ता के साथ

उसके विवाह होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि विवाह के उपरांत याचिकाकर्ता / आवेदिका उनके यहाँ नहीं रहती और अपनी मर्जी से अपने मायके में निवास करने लगी थी, इस कारण अनावेदक के द्वारा अपर जिला जज सेंवढा के न्यायालय में दाम्पत्यों की पुनर्स्थापना बावत् दावा पेश किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक 06 / 2013 था जिसमें कि आवेदिका उपस्थित रही है और उक्त याचिका जो कि अनावेदक के द्वारा वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना बावत् वर्तमान आवेदिका के विरूद्ध पेश किया गया था उसमें अपरा जिला जज स्योडा के न्यायालय के द्वारा वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने के संबंध में उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए वर्तमान आवेदिका को वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना किऐ जाने का आदेश दिया गया है। ऐसी दशा में जबकि इस संबंध में न्यायालय के द्वारा निराकरण हो चुका है, वर्तमान दावा प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार अनावेदक के द्वारा दावे के प्रचलनशीलता के संबंध में जो कि इसी बिन्दु पर

अनावेदक रायसिंह के द्वारा अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आवेदिका के उसके साथ न आने के कारण और अपनी इच्छा से मायके चले जाने से उसके द्वारा उसे अपने साथ रखने के लिए स्योंडा न्यायालय में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा पेश किया था जो कि प्रकरण कमांक 06/2013 पर पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें वर्तमान आवेदिका जानबूझकर उपस्थित नहीं ह्ई। उक्त प्रकरण उसके पक्ष में निर्णय व डिकी पारित की गई है। वह आवेदिका को आज भी रखने के लिए तैयार है। मात्र उसे परेशान करने के उद्देश्य से वर्तमान दावा पेश किया गया है। उपरोक्त संबंध में अनावेदक के द्वारा किया गया कथन का कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है, बल्कि प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दावा पेश किया था।

अनावेदक के द्वारा लिया गया उपरोक्त आधार का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अनावेदक के द्वारा अपर जिला जज सेंवढा जिला दितया के प्रकरण क्रमांक 06/2013 वैवाहिक निर्णय व डिकी दिनांक 20.12.2013 की सत्यप्रतिलिपि एन.ए. 1 पेश की है, जिसमें कि अपर जिला न्यायाधीश सेंवढा के द्वारा वर्तमान अनावेदक रायसिंह के द्वारा वर्तमान प्रकरण की आवेदिका लक्ष्मी बाई के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम वास्ते दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना को स्वीकार करते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने बावत् डिकी पारित की गई है। उपरोक्त याचिका के संबंध में वर्तमान प्रकरण की आवेदिका लक्ष्मी के द्वारा अपने कथन कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया है कि अनावेदक रायसिंह के द्वारा याचिका जिला दतिया के न्यायालय में उसे अपने साथ रखने के लिए धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दावा पेश किया गया था। यद्यपि इस संबंध में कि अनावेदक रायसिंह के साथ उसे वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिकी न्यायालय से हुई थी और उसे दो महीने के अंदर वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करना थी को वह गलत होना बता रही है, किन्तु इस संबंध में अपर जिला न्यायाधीश सेंवढा के निर्णय दिनांक 20.12.2013 एन.ए. 1 से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वर्तमान आवेदिका उपस्थित हुई है और उसके द्वारा अपना जबाव दावा पेश किया गया है और अपने जबाव में यह आधार लिया गया है कि अनावेदक के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान किया जाता था जिस कारण वह अपने पिता के घर दिनांक 09.07.2012 से रह रही है। यद्यपि उक्त प्रकरण में पाश्चातवर्ती प्रक्रम में वर्तमान आवेदिका उपस्थित नहीं रही है, किन्तु उसे उक्त प्रकरण संचालित होने की पूरी जानकारी थी और उसमें वह उपस्थित हुई है और उसके द्वारा अपना जबाव भी पेश किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य इस संबंध में वाद चला है जो कि वर्तमान प्रकरण के अनावेदक रायसिंह के द्वारा वर्तमान प्रकरण की आवेदिका लक्ष्मी के विरूद्ध धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक सबधों की पुनर्स्थापना हेतु दावा पेश किया था।

- धारा 11 सिविल प्रकिया संहित Res Judicata सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। धारा 11 सी.पी.सी. लागू होने के लिए निम्न शर्ते आवश्यक है:- (1) दो दावे पेश होने चाहिए, एक पूर्ववर्ती और एक पाश्चात्वर्ती। (2) जिस कोर्ट के द्वारा पूर्ववर्ती दावा निराकृत किया गया है वह पाश्चात्वर्ती दावे को भी निराकृत करने हेतु सक्षम होना चाहिए। (3) पक्षकारों के मध्य जो विवादक बिन्दु है वह प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप से दोनों दावों में समान होने चाहिए। (4) पाश्चात्वर्ती प्रकरण में जो विषय प्रत्यक्ष और विवक्षित रूप से उठाए गए है वह न्यायालय के द्वारा सुने जाकर अंतिम रूप से पूर्ववर्ती प्रकरण में विनिश्चिय किये गये हो। (5) दोनों ही प्रकरणों के पक्षकार समान होने चाहिए। (6) दोनों ही पक्षकार एक ही विषयवस्तु के संबंध में विवाद कर रहे हो।
- Res Judicata सिद्धांत जो कि प्रकरणों के अंतिमता को सुनिश्चित करने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित करता है । यदि पूर्ववर्ती किसी दावे जो कि समान पक्षकारों के मध्य एवं समान विषयवस्तु के संबंध में है, एक बार सक्षम न्यायालय के द्वारा विनिश्चिय किया जा चुका है तो पुनः उस संबंध में दावे को वर्जित करता है, जो कि उक्त सिद्धांत तक निर्णय को अंतिम तक प्रदान करने के उद्देश्य से है।
- वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों ही पक्षकारों के मध्य अपरा जिला न्यायाधीश सेंवढा के न्यायालय में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य संबंधों की

पुनर्स्थापना का दावा चला है जो कि उक्त दावा पूर्व में दिनांक 20.12.2013 को निर्णीत हुआ हैं। उक्त दावे को सुनने एवं उसे निराकृत करने हेतु अपर जिला न्यायाधीश सेंवढा सक्षम न्यायालय है, दोनों दावों में जो विवादक हैं वह प्रत्यक्ष एवं विवक्षित रूप से समान है, इस संबंध में पूर्ववर्ती दावे में पक्षकारों के द्वारा लिए गए आधारों को सुने जाकर दावा अंतिम रूप से निराकृत किया जा चुका है जो कि एक ही विषयवस्तु से संबंधित हैं

- ऐसी दशा में जबिक सक्षम न्यायालय के द्वारा पूर्व दावे में पक्षकारों के मध्य 12. उठाए गए विवादकों का जो कि पूर्वर्ती दावे में उठाए गए थे और जो पाश्चात्वर्ती दावे में भी वही आधार उठाये गये हैं, उन्हें अंतिम रूप से विनिश्चिय किया जा चुका है, जो कि इस संबंध में सक्षम न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है तो पुनः उन्हीं आधारों पर पाश्चातवर्ती दावा प्रचलन योग्य नहीं है।
- याचिकाकर्ता / आवेदिका अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वर्तमान अनावेदक के द्व ारा पूर्ववर्ती निर्णय व डिकी का पालन कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए है, ऐसी दशा में वर्तमान याचिका जो कि पूर्ववर्ती प्रकरण की अनावेदिका लक्ष्मी के द्वारा पेश किया गया है और उसके द्वारा जो आधार लिए गए है उनके परिप्रेक्ष्य में दावा चलने योग्य नहीं है और उनके द्व ारा यह भी आधार लिया गया है कि पूर्ववर्ती दावे में वर्तमान याचिकाकर्ता एक पक्षीय रही है और उसे निर्णय व डिकी की जानकारी भी नहीं थी। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती निर्णय के आधार पर वर्तमान दावा वर्जित नहीं कहा जा सकता है।
- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया, जहाँ तक पूर्ववर्ती दावे के संबंध में वर्तमान याचिकाकर्ता को जानकारी का प्रश्न है, इस संबंध में आए हुए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को पूर्ववर्ती याचिका जो धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत थी उसकी पूर्ण जानकारी थीं और उसमें उसके द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव भी पेश किया गया है। मात्र इस आधार पर कि पाश्चात्वर्ती प्रकरण में वह अनुपस्थित हो गई थी और उसके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, इस संबंध में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरोज वि० चिन्नास्वामी (मृत द्वारा वारिसान) 2008 (11) एम.पी.जे.आर. (एस.सी. 48) में स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि Res Judicata का सिद्धांत एक पक्षीय डिक्री में भी लागू होता है। ऐसी दशा में आवेदिका के द्वारा लिया गया उक्त आधार स्वीकार योग्य नहीं है।
- आवेदिका के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि अनावेदक के द्वारा पूर्ववर्ती डिक्री का पालन कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, किन्तु इस संबंध में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य एवं सभी तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जिसे कि

पूर्ववर्ती निर्णय व डिकी की जानकारी थी और वर्तमान प्रकरण के अनावेदक के द्वारा उसे अपने साथ ले जाने हेतु प्रयास किये जाना भी दर्शित होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान आवेदिका के द्वारा लिया गया आधार कि आवेदिका के द्वारा पूर्ववर्ती डिक्री के अनुसार उसे ले जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है, यह मान्य नहीं किया जा सकता है।

- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विवाद करने वाले दोनों पक्षकारों के मध्य पूर्व में उसी विषयवस्तु के संबंध में दावा सक्षम न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत किया जा चुका है, उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी आशय की सहायता हेतु वर्तमान दावा पेश किया गया है, जबिक न्यायालय के द्वारा इस संबंध में पूर्ववर्ती दावे में अंतिम रूप से विनिश्चिय किया जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका Res Judicata के सिद्धांत के आधार पर वर्जित है और इस प्रकार वर्तमान दावा प्रचलन योग्य होना नहीं पाया जाता है।
- विचारोपरांत जबिक याचिकाकर्ता / आवेदिका की वर्तमान याचिका प्रचलन योग्य 17. हीं नहीं पाई गई है। ऐसी दशा में अन्य विवादित बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक नहीं है।
- अतः याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका Res Judicata के 18. सिद्धांत के आधार पर वर्जित है। दावा प्रचलन योग्य न पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार डिकी पारित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड